

<p>ता.संख पेशी</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर R-3 लवप उप- श्री एम.पी. औसा श्री जी.एम. लखावत 4.5</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए 6A52</p>
------------------------	---	--

11.2.19

अपील संख्या 51/2018 (2018/00051)

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अपील में अभिभाषक उभयपक्ष की दिनांक 25.01.2019 को बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादी संख्या 01, 2 जिनके वारिसान 1/1, 2/1 है ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोंडेन्टस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 8 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी वाकै ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर में स्थित है तथा वादीगण द्वारा वाद पत्र में सजरा प्रस्तुत किया, सजरा अनुसार वादीगण के पिता शिवराज पुत्र मन्ना जाति रेगर की खातेदारी आराजी जमाबंदी फसल 1350, 1365 1366 में खुदकाश्त दर्ज चला आ रहा हैं तथा जमाबंदी सम्वत 2016 से 2019, 2021 से 2024 और 2025 से 2028 की खातेदारी में दर्ज हैं। शिवराम पुत्र मन्ना के स्वर्गवास के पश्चात वादीगण पुत्रियों श्रीमती पानी एवं श्रीमती रूकमा के नाम राजस्व रिकार्ड में होना चाहिए था तथा वर्किंग जमाबंदी में पूर्व खातेदार का नाम रिपीट होना चाहिए थें लेकिन वर्किंग जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने अपना नाम दर्ज करवा लिया। प्रतिवादी संख्या 03 जेठमल ने प्रतिवादी संख्या 04,05 को दिनांक 06.09.2011 को गैर कानूनी रूप से बेचान कर दी। उक्त बेचान प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी हैं। अन्त में वाद कारण अंकित करते हुए वाद अनुसार डिक्री चाही गई। प्रतिवादी संख्या 03, 4, 5 ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया। दौराने वाद दिनांक 18.01.2016 को वादीगण एवं वादीगण के अभिभाषक अनुपस्थित होने के आधार पर वाद को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया। वादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. मय मियाद प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2016 को प्रस्तुत किया जो दिनांक 31.03.2016 को मार्क किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में संतोषजनक कारण अंकित करते हुए वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने की प्रार्थना की।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 23.01.2018 को खारिज कर दिया तथा दिनांक 30.01.2018 को संशोधित आदेश पारित कर उक्त आदेश को पूर्व आदेश का भाग समझा जाने के आदेश प्रदान किये। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के उक्त आदेश दिनांक 23.01.2018 एवं 30.01.2018 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि वादीगण एवं उसके अभिभाषक दिनांक 18.01.2016 को उपस्थित नहीं होने के आधार पर वाद को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया था जिसके लिए वादीगण ने वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र में पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण अंकित किये हैं जिसमें वादीया वृद्ध महिला होने के कारण उक्त दिवस को स्वस्थ खराब होने की वजह से उपस्थित नहीं हो पायी तथा वादीगण अभिभाषक अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सकें। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में संतोष


उपखण्ड अपील अधिकारी
अजमेर

मजिस्ट्रेट

51/18/225

श्रीमती सुकमा (शु) महेन्द्र बनाम मोहन

तारीख पेशी	हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर R.3 एम्प एम्प श्री एम.पी. मौसा श्री जी. एम. लखावत 4,5	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए 6A 62
लगातार	<p>जनक कारण अंकित किये जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित करने का अनुरोध किया। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने दिनांक 23.01.2018 को खारिज कर दिया। प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 जाप्ता दीवानी के तहत चलने योग्य नहीं था क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से लिपिकीय भूल अथवा टंकण त्रुटि को दुरुस्त किया जा सकता है लेकिन निर्णय की फाईडिंग नहीं बदली जा सकती क्योंकि उनके द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने का आधार ही 10 माह जानकारी नहीं होना मानकर किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 जाप्ता दीवानी को स्वीकार माना जाता है तो प्रार्थना पत्र 2 माह के विलम्ब से प्रस्तुत माना जायेगा जिससे उनका निर्णय ही पूर्णतः फाईडिंग को प्रभावित करता है। वाद पत्र व प्रार्थना पत्र की तकनीकी के आधार पर खारिज किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर का निर्णय दिनांक 23.01.2018 व 30.01.2018 को निरस्त किया जावें एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय दिनांक 18.01.2016 को निरस्त किया जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर विधि प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जाकर वाद को निर्णित किये जाने के आदेश प्रदान करावे।</p> <p>अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने दौराने जवाब अपील निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद वादीगण एवं उनके अभिभाषक के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया था तथा उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. भी लगभग ढाई माह के पश्चात किया है जबकि वाद को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये के आदेश की जानकारी उनके अभिभाषक एवं वादीगण को थी फिर भी जानकारी में होने के बावजूद भी प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया था। विलम्ब के भी संतोष जनक कारण अंकित नहीं किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। जो विधि सम्मत मियाद बाहर मानते हुए खारिज किया है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज की जावें।</p> <p>अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र को दिनांक 18.01.2016 को वादीगण एवं उनके अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया था तत्पश्चात प्रार्थना पत्र/वादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. को भी मियाद बाहर मानते हुए मियाद बिन्दु पर ही खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र एवं तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र को भी तकनीकी आधार पर खारिज</p>	लगातार

